

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक C/4052
दो-14-101/18

आदेश

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, नया पदनाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2936/दो-14-10/2018, जबलपुर दिनांक 26.06.2018 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के न्यायिक शाखा के किमिनल रिवीजन अनुभाग में डी.ए. क. 1 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण किमिनल रिवीजन क. 935/2015 (संतोष विरुद्ध श्रीमती सीमा) आपकी अभिरक्षा से गुम करने के आरोप पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 16.04.2019 में आरोप सिद्ध पाए जाने, रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क. डी/3618/दो-14-10/18, जबलपुर दिनांक 24.05.2019 के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 03.07.2019 में त्रुटि स्वीकार करने एवं विभागीय जांच प्रकरण के समस्त अभिलेखों व साक्षियों के कथनों पर विचारोपरांत जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुये आपको कर्तव्य पालन में असफल रहने के कदाचार का दोषी पाते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/4053

दो-14-42/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, नया पदनाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(श्याम बिहारी वर्मा)

रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

Per

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक C/4056

आदेश

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

दो-14-42/18

श्री सुनील मोहे, सहायक ग्रेड-दो, नया पदनाम जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/5017/दो-14-42/2018, जबलपुर दिनांक 12.10.2018 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के न्यायिक शाखा के किमिनल अपील अनुभाग में डी.ए. क. 5 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण किमिनल अपील क 778/2010 (बाल सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) आपकी अभिरक्षा से गुम करने के आरोपों पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2019 में समस्त आरोप सिद्ध पाए गए, रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क डी/2064/दो-14-42/18, जबलपुर दिनांक 15.03.2019 के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 07.05.2019 स्वीकार योग्य न पाये जाने एवं विभागीय जांच प्रकरण के समस्त अभिलेखों व साक्षियों के कथनों पर विचारोपरांत जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत होते हुये आपको समस्त आरोपों के कटाचार का दोषी पाते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आवरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।


(राजेंद्र कुमार वाणी)

Per रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

पृष्ठांक क्रमांक C/4057
दो-14-42/18

प्रतिलिपि -

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्था./लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. श्री सुनील मोहे सहायक ग्रेड-दो नया पदनाम जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


26/8/19
(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)
Per-